सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि धर्मशाला नगर निगम द्वारा सामुदायिक भवन कोतवाली बाजार धर्मशाला की पार्किंग एक बर्ष के लिए ठेके पर देने हेतू खुली बोली दिनांक 19.07.2021 को दोपहर 03.30 बजे कार्यालय धर्मशाला नगर निगम में रखी गई है।

नीलामी की अवधि 01.08.2021 से 31.07.2022 तक होगी।

सरकारी बोली 12,00,000/- रूपये

पार्किंग की दरों का विवरण		
स्कूटर/मोटर साईकल	00 से 02 घण्टे	10.00रू0
	02 से 06 घण्टे	20.00रू0
	06 घण्टे से उपर	5.00रू0 प्रति घण्टा
कार,जीप, वैन इत्यादि	00 से 02 घण्टे	30.00रू0
	02 से 06 घण्टे	50.00रू0
	06 से 12 घण्टे	150.00रू0
	12 घण्टे से उपर	200.00रू0 प्रति घण्टा
मासिक पास	स्कूटर/मोटर साईकल	600.00रू0 प्रति माह
मासिक पास	कार,जीप, वैन इत्यादि	2000.00रू0 प्रति माह

बोली के नियम व शर्ते

1. सफल बोलीदाता को बोली शुरू होने से पहले 50,000/- रू0 (पचास हजार रू0) बतौर (Earnest Money) धरोहर राशि मौका पर जमा करवानी होगी जोकि असफल बोलीदाताओं को बोली समाप्त होने पर वापिस कर दी जाएगी तथा सफल बोली दाता की धरोहर राशि को पहली किस्त में समायोजित किया जाएगा।
2. सफल बोली दाता को मुवलिग 5,00,000/- रू0 (पाच लाख रू0) रूपये की प्रतिभूति राशि (Security Money) के रूप में जमा करवानी होगी जो कि वाद में ठेका अवधि पूर्ण होने पर वापिस कर दी जाएगी। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. बोलीदाता को कुल बोली राशि का 30 प्रतिशत बोली समाप्त होने पर उसी दिन जमा करना होगा व 20 प्रतिशत राशि 24.08.2021 तक तथा शेष 50 प्रतिशत राशि प्रति माह एक समान 10 किस्तों के हिसाव से 10 पोस्ट डैटिड चैक वोली समाप्ति के तुरन्त वाद जमा करवाने होंगें। अवहेलना की सूरत में कार्य को दोवारा नीलाम किया जाएगा व धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाऐगा ओर ठेकेदार को पुनः बोली के लिए अयोग्य किया जाऐगा।
4. अगर बोलीदाता नियम व शर्तो के मुताविक 30 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाता है तो उसकी प्रतिभूति राशि (Security Money) 5,00,000/- रू0 (पाच लाख रू0) जब्त करके उस सूरत में ठेके को रद्ध करके दूसरे नम्वर पर निविदा देने वाले व्यक्ति को ठेका दे दिया जाएगा।

5. विना धरोहर राशि जमा करवाये कोई भी व्यक्ति बोली में भाग नहीं ले सकता।

6. धरोहर राशि केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएगी जो आयुक्त धर्मशाला नगर निगम धर्मशाला के पक्ष में देय होगी।

7. सफल बोलीदाता को पार्किंग की ठेका राशि देय जी0एस0टी0 सहित स्वीकृति पत्र की तिथि से 2 दिनों के भीतर व पार्किंग की पूर्ण ठेका राशि पर देय टी.डी.एस. इत्यादि का भुगतान अग्रिम रूप में करना होगा। यह ठेका राशि के अतिरिक्त होगा तथा पार्किंग की शेष राशि के पोस्ट डैटिड चैक अग्रिम रूप में देने होंगें।

8. किसी भी प्रकार के आपसी विवाद को आयुक्त, धर्मशाला नगर निगम के समक्ष रखा जाएगा उनका निर्णय दोनों पार्टियों को मान्य होगा तथा विवाद की स्थिति में न्यायलय अधिकार क्षेत्र धर्मशाला शहर होगा।

9. बोली वाले दिन यदि अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस को निश्चित स्थान व समय पर की जाएगी।

10. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, धर्मशाला नगर निगम या अन्य द्वारा लगाया गया कोई भी कर/ सेवाकर बोलीदाता को अदा करना होगा और यह दरों में सम्मिलित करके मान्य नहीं होगा।

11. बोलीदाताको नगर निगम से अदेय प्रमाण पत्र (No dues Certificate) संलग्न करना होगा। यह प्रमाण पत्र नीलामी सूचना जारी करने की तिथि के वाद व वोली से पहले की होनी चाहिए।

12. सफल बोलीदाता को बोली के उपरान्त नगर निगम के साथ निगम द्वारा तय शर्तो के अनुसार इकरारनामा निर्धारित 7 दिन के अन्दर- अन्दर निष्पादित करना होगा अन्यथा सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा उस द्वारा दी गई उच्चतम वोली रद्व समझी जाएगी।

13. बोली के नियमों व शर्तो पर यदि किसी बोलीदाता को कोई आपति हो तो वह 17.07.2021 सायं 5.00 बजे से पहले अपनी आपतियां दायर कर सकता है उसके उपरान्त किसी भी प्रकार की आपति मान्य नही होगी।

14. आयुक्त धर्मशाला नगर निगम को अकारण बोली को स्थगित/रद्व/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

15. सरकार एवं नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देश सफल वोलीदाता को मान्य होंगें। इसके अतिरिक्त सामुदायिक भवन में

जब भी कोई शादी या अन्य समारोह होता है तो ठेकेदार उनको 2500/- रू0 प्रतिदिन में पार्किंग उपलब्ध करवाएगा ।

16. आयुक्त/ अतिरिक्त आयुक्त धर्मशाला नगर निगम या उनके द्वारा प्राधिकृत/कर्मचारी को ठेके पर आवंटित सम्पति का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

17. सफल बोलीदाता को बोली की समाप्ति के 7 दिनों के भीतर धर्मशाला नगर निगम से अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्धनामा की शर्तो का उल्लंधन करने पर अनुबन्ध रद्द समझा जाएगा और प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

18. सफल बोलीदाता को बोली की समाप्ति के 7 दिनों के भीतर धर्मशाला नगर निगम से अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्धनामा की शर्तो का उल्लंधन करने पर अनुबन्ध रद्द समझा जाएगा और प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

19. ठेकेदार को पार्किंग की उगाही हेतू कर्मचारी अपने स्तर पर रखने होंगें व उनका ई.पी.एफ भी जमा करवाना होगा। ठेकेदार व कर्मचारियों मे यदि किसी प्रकार का कोई विवाद होगा तो धर्मशाला नगर निगम की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

20. अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर यदि कोई नुकसान पाया जाता है तो उस स्थिति में प्रतिभूति राशि से नुकसान पाये जाने की राशि काटकर बाकि की राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जाएगी तथा ठेका पूरा होने पर बोलीदाता को सम्पति का कब्जा शांतिपूर्वक नगर निगम को सौंपना होगा।

21. पार्किंग में प्राकृतिक या अप्राकृतिक स्थिति से वाहनों को कोई क्षति पहुंचती है तो उसकी जिम्मेवारी नगर निगम की नहीं होगी।

22. सूची में दर्शाई निगम की किसी भी सम्पति में यदि बिजली, पानी की कोई राशि देय होगी तो उसका भुगतान सफल बोलीदाताको स्वयं करना होगा।

23. सफल बोलीदाता को पार्किंग के गेट पर निर्धारित की गई दरों का 4X4 का बोर्ड लगाना होगा जिसमें नगर निगम कार्यालय का दूरभाष नम्बर तथा यथानिर्देशित अन्य जानकारी भी अंकित करनी होगी।

24. सफल बोलीदाताको स्थानीय लोंगों की सुविधा को देखते हुए व्यवसायिक पार्किंग में स्थानीय लोगों को सर्वप्रथम सुविधा प्रदान करनी होगी।

25. सफल बोलीदाताको नगर निगम की अनुमति पर पात्र स्थानीय व्यक्ति को मासिक पास देना अनिवार्य होगा जिसका रजिस्टर नगर निगम और ठेकेदार दोनो को Maintain करना होगा। नगर निगम का कर्मचारी कभी भी इसका निरिक्षण कर सकता है। मासिक पास 6 महिने से अधिक

अवधि का नही दिया जाएगा तथा 6 माह के वाद व्यक्ति को फिर से नवीनीकरण हेतू आवेदन करना होगा।

26. धर्मशाला नगर निगम को यह अधिकार होगा कि वह साल में 7 दिनों के लिए पार्किंग का कुछ भाग धार्मिक या अन्य समारोह करने के लिए उपयोग कर सकता हैं।

27. सफल बोलीदाताको नगर निगम द्वारा 01.08.2021 को पार्किंग स्थल का कब्जा पार्किंग फीस की उगाही हेतू दे दिया जाएगा।

आयुक्त,
धर्मशाला नगर निगम
12.07.2021